[2018] 5 एस. सी. आर 147

चिंटपुर्नी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और ए. एन. आर.

वी.

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस.

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 89)

03 जुलाई, 2018

[एस. ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राव, जे. जे.]

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956। 10 ए, 19 अनिवार्यता प्रमाणपत्र-राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज को अनुदान-राज्य सरकार की एक बार प्रमाण पत्र वापस लेने की शक्ति

ऐसे प्रमाणपत्र को वापस लेने का हकदार होगा जहां इसे धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है या कोई भी परिस्थिति जहां उसी आधार पर जिस पर अनिवार्यता प्रमाणपत्र दिया गया था। गायब हो जाता है या समान प्रकृति का कोई अन्य कारण-तथ्यों पर, प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित डॉक्टर-पैनल अनुपात की शर्त, अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों से परे है-इस प्रकार, राज्य द्वारा जारी आदेश, अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेना रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है कि यह निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि

प्रस्तावित महाविद्यालय जनहित में राज्य में आवश्यक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कानून के अनुसार एक आवेदक के पास राज्य से एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए सरकार ने इसमें उल्लेख किया है कि उनके द्वारा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य एक ऐसे कॉलेज की स्थापना को रोकना है जहां किसी की आवश्यकता नहीं है या बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को रोकना है।

महाविद्यालय। इस प्रकार, एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिए विधायी योजना एक योग्यता मानदंड के रूप में निर्धारित करती है कि आवेदक के पास राज्य सरकार द्वारा जारी एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य सरकार प्रमाणित करती है कि अधिनियम के तहत विधायी योजना के एक भाग के रूप में एक प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए औचित्य। यह राज्य अधिनियम सहित किसी अन्य कानून के तहत ऐसा नहीं करता है। अनिवार्यता प्रमाणपत्र का एकमात्र उद्देश्य चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10 ए के तहत कार्य करने वाली केंद्र सरकार को खोलने या खोलने की अनुमति देने के लिए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। एक बार कॉलेज की स्थापना के बाद, इसकी कार्यप्रणाली और प्रदर्शन और यहां तक कि इसके पाठ्यक्रमों की मान्यता को केवल आई. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। [पैरा 14,15] [160-एच; 161-ए-डी] 1.2 राज्य सरकार सहित किसी भी प्राधिकरण को, जो केवल एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करता है, किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देना अनुज्ञेय नहीं होगा, जिसका केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने की अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रभाव हो सकता है। राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं कर सकती है। इसके अलावा, अनिवार्यता प्रमाणपत्र का उद्देश्य केंद्र सरकार को यह प्रमाणित करने तक सीमित है कि एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना आवश्यक है। यह इससे आगे नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में, एक बार राज्य

सरकार ने प्रमाणित किया है कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना उचित है, यह बाद के चरण में यह नहीं कह सकती कि कॉलेज की स्थापना के लिए कोई औचित्य नहीं था। निश्चित रूप से, एक व्यक्ति जो राज्य सरकार के इस आश्वासन पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है कि ऐसा प्रतिष्ठान उचित है, उसे बाद के चरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे ऐसा करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे इस रूप में माना जाना चाहिए निश्चित रूप से धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर, एक बार इसका प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। समता आ निष्पक्षताक नियम आ प्रतिज्ञात्मक रोक-टोक एहि न्यायालयकेँ विपरीत दृष्टिकोण रखबाक अनुमति नहि दैत छैक। [पैरा 16] [161-एफ-एच; 162-ए-बी]

1.3 अनिवार्यता प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए राज्य द्वारा दिए गए कारण प्रासंगिक या स्पष्ट नहीं हैं मेडिकल कॉलेज की स्थापना।

वे कमियों चिंटपुर्नी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल v का उल्लेख करते हैं। पंजाब राज्य

मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व फिर से उचित होगा यदि कमियां दूर होती हैं। कॉलेज के उचित अस्तित्व और मौजूदा कॉलेज के अनियमित/अवैध कामकाज का सवाल चीजों के एक अलग क्रम से संबंधित है और इसे मिश्रित नहीं किया जा सकता है। एक प्रमाण पत्र एक प्राधिकरण द्वारा एक गंभीर बयान का गठन करता है।

चीजों की कुछ शर्तों को प्रमाणित करना। ऐसे प्रमाणपत्रों पर कार्य करने वाले व्यक्ति यह मानने के हकदार हैं कि प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा और बाहरी कारणों से उनके पैरों के नीचे से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अनिवार्यता प्रमाणपत्र वापस लेने का कोई कारण नहीं

उन कारकों से संबंधित हैं जो निर्धारित प्रपत्र 2 में सही के रूप में प्रमाणित हैं। [पैरा 17] [162-सी-ई]

1.4 शर्त संख्या पर निर्भर करते हुए। (VII) राज्य में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार के पास निरीक्षण करने की शक्ति है, क्योंकि यह इसके लिए जिम्मेदार है कॉलेज के छात्र जो एमसीआई या अन्य द्वारा बंद कर दिए गए हैं। यदि इस तरह के निरीक्षणों से कोई कमियां सामने आती हैं, तो राज्य को अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार है। यह

प्रस्तुतिकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है, आई. एम. सी. अधिनियम और विनियम जिनके तहत राज्य सरकार ने जारी करने का इरादा किया है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र एमसीआई द्वारा नियुक्त आगंतुकों/निरीक्षकों को किसी भी चिकित्सा संस्थान, कॉलेज या अस्पताल में निरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है जहां कोई चिकित्सा शिक्षा दी जाती है। आईएमसी अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत। [पैरा 20] [163-डी-ई]

अपने क्षेत्रों के भीतर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और वह भी जब किसी व्यक्ति द्वारा एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए संपर्क किया जाता है। राज्य को सामान्य निरीक्षण की कोई प्रत्यक्ष शक्ति प्रदान नहीं की गई है और न ही ऐसी शक्ति को विनियमों में पढ़ा जा सकता है और न ही इसे लागू करने के लिए आवश्यक रूप से निहित किया जा सकता है। एक स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्ति जो मौजूद नहीं है। वास्तव में, यह समझना भी मुश्किल हो सकता है कि आई. एम. सी. अधिनियम ने राज्य सरकार को 5 एस. सी. आर. जारी करने सहित कोई भी शक्ति सौंप दी है।

एक अनिवार्यता प्रमाणपत्र। आई. एम. सी. अधिनियम में केवल एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को उचित ठहराने के लिए एक आवेदक को राज्य सरकार से एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, अधिनियम उस प्रपत्र को निर्धारित करता है जिसमें ऐसा प्रमाण पत्र राज्य से प्राप्त किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, प्रपत्र निरीक्षण की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। केवल एक की आवश्यकता

एक योग्यता मानदंड के रूप में राज्य द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र एक शक्ति के प्रत्यायोजन का संकेत नहीं दे सकता है जो स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस तरह की शक्ति का राज्य द्वारा बिना किसी औचित्य के घमंड किया गया है और इससे केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के साथ टकराव होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी निरीक्षण रिपोर्टें मिल सकती हैं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्त है -

आई. एम. सी. अधिनियम और विनियमों का अधिकार समाप्त हो जाता है। [पैरा 21] [164-ए-ई]

1.6 यह प्रस्तुत करना कि चूंकि अनिवार्यता प्रमाण पत्र के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता है यदि कॉलेज बंद हो जाता है, तो राज्य को अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लेने का अंतर्निहित अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लेने का परिणाम केवल यह हो सकता है कि कॉलेज बंद हो जाए, और राज्य को छात्रों को दूसरे संस्थान में समायोजित करने का बोझ उठाना चाहिए। [पैरा 22] [164-एफ-जी]

1.7 प्रस्तुतिकरण कि चूंकि अनिवार्यता प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता को प्रमाणित करता है

प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, विनियमों के अनुसार, राज्य के पास अपनी स्थापना के बाद भी कॉलेज के निरीक्षण की आवश्यक शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त नैदानिक सामग्री है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य को पर्याप्त नैदानिक सामग्री को केवल मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव के समय प्रमाणित करने का आदेश दिया गया है, न कि इसकी स्थापना के बाद। लेकिन यह पाया गया है कि राज्य ने 'पर्याप्त नैदानिक सामग्री' शब्द की पूरी तरह से गलत व्याख्या की है। राज्य के अनुसार, "पर्याप्त नैदानिक सामग्री" का अर्थ है "लोग" यानी डॉक्टर, मरीज, कर्मचारी आदि। जबकि, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इस शब्द का अर्थ प्रवेश की संख्या, डिस्चार्ज की संख्या, मौतों की संख्या, सर्जरी की संख्या, प्रक्रियाओं की संख्या, एक्स-रे और मृत्यु की संख्या के बारे में डेटा के रूप में समझा जाता है।

प्रयोगशाला जांच। इस प्रकार, राज्य को इस क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है ताकि चिंटपुर्नी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल v को सही ठहराया जा सके।

पंजाब राज्य

प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना। जाहिर है, एक मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को उचित ठहराने के उद्देश्य से, राज्य का दावा है कि उसे यह देखने के लिए एक कॉलेज की स्थापना के बाद निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए कि क्या इसके निरंतर अस्तित्व को सही ठहराने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, मरीज आदि हैं।

पूरी तरह से निराधार। [पैरा 23] [165-बी-डी]

1.8 अनुदान देने में राज्य सरकार का कार्य

1.9 आई. एम. सी. अधिनियम का कोई प्रावधान राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र। नियम यह निर्धारित करते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन करने के लिए एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र योग्यता मानदंड है। इस मायने में, यह प्रावधान राज्य द्वारा जारी एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र को मान्यता देता है।

सरकार। यह किसी का मामला नहीं है कि राज्य सरकार को किसी भी राज्य के कानून के तहत ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति या कर्तव्य प्रदान किया गया है। किसी भी मामले में, इस तथ्य को देखते हुए कि क्षेत्र है

एक संसदीय कानून अर्थात एम. सी. अधिनियम, 1956 द्वारा अधिकृत, एक राज्य कानून, भले ही पहले से मौजूद हो, इस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होगा। नतीजतन, अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। [पैरा 28] [166-जी-एच; 167-ए-बी] [2018] 5 एस. सी. आर.

1.10 अनिवार्यता प्रमाणपत्र को विनियमों के साथ पठित आई. एम. सी. अधिनियम के तहत जारी किया जाना चाहिए न कि राज्य की किसी स्वतंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए। महत्वपूर्ण रूप से, जहां प्रमाण पत्र जारी करने की कोई शक्ति आई. एम. सी. अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदान नहीं की गई है, यह पूछना व्यर्थ होगा कि क्या इसे वापस लेने की संबंधित शक्ति के पास है।

राज्य को प्रदान किया गया। यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि जारी करने की शक्ति

ऐसा प्रमाणपत्र अधिनियम के तहत विनियमों द्वारा निहित रूप से प्रदान किया गया है, निश्चित रूप से, इसे वापस लेने की कोई शक्ति इस प्रकार प्रदान नहीं की गई है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के आधार पर ऐसी शक्ति का अहंकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 29] [167-बी-डी]

1.11 तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता कॉलेज ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्रवाई की है और एक कॉलेज की स्थापना की है जो

काम किया है; कमी हो सकती है। आई. एम. सी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त वापस लेने की किसी भी शक्ति के अभाव में अनिवार्यता प्रमाण पत्र, धारा 21 के अनुदान के बाद से शर्तें बदल गई हैं। शर्त सं। (11) आई. एम. सी. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों से परे है। प्रतिवादी संख्या 1-पंजाब राज्य द्वारा जारी आदेश, अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने को रद्द कर दिया गया है और इसे अलग कर दिया गया है और शर्त संख्या। (VII) और (XI) को अवैध घोषित किया गया है। [पारस 32,33] [168-बी-डी]

1.13 इस न्यायालय को यह निर्धारित करते हुए नहीं समझा जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है

वापस ले लिया। राज्य सरकार इस तरह के प्रमाण पत्र को वापस लेने की हकदार होगी जहां इसे धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है।

ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ सबस्ट्रेटम जिस पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिया गया था गायब हो जाता है या इसी तरह के किसी अन्य कारण से। [पैरा 35] [168-ई-एफ]

मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 7 एस. सी. सी. 353; अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जडेजा बनाम। गुजरात राज्य (1995) 5 एस. सी. सी. [1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 637; दीपक बाबरिया बनाम। गुजरात राज्य (2014) 3 एससीसी 502: [2014] 2 एससीआर 71; डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (1999) 7 एस. सी. सी. 120 [1999] 1 पूरक। एससीआर 249; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) बनाम। समाज कल्याण संस्थान (2002) 5 एस. सी. सी. 685 [2002] 3 एस. सी. आर. 1040; औद्योगिक अवसंरचना

विकास निगम (ग्वालियर) एम. पी. लिमिटेड बनाम

चिंटपुर्नी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल v. पंजाब राज्य

आयकर आयुक्त, ग्वालियर (2018) एससीसी

ऑनलाइन एससी 126; गौरुल हसन बनाम राजस्थान राज्य

ए. आई. आर 1967 एस. सी. 107: 1962 एस. सी. आर. 772; हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी (2001) 8 एस. सी. सी. 233: [2001] 3 पूरक।

एससीआर 38; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम वाई. एस.

विवेकानंद रेड्डी ए. आई. आर. 1995 ए. पी. 1-संदर्भित।

प्रशासनिक कानून में वेड और फोर्सिथ, 10 वीं संस्करण पी।

269 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2016) 7 एस. सी. सी. 353

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 पूरक। एससीआर 637

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2014] 2 एससीआर 71

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[1999] 1 पूरक। एससीआर 249

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2002] 3 एससीआर 1040

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 126

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1962] एससीआर 772

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2001] 3 पूरक। एससीआर 38

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

आकाशवाणी 1995 एपी 1

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

2018 .

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

सुश्री बीना माधवन, एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सी।

वकील एस निट एंड कंपनी, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

श्री अमन लेखी, एएसजी, प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, मी।

बीएच, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भाव

श्री गोविंद गोयल, अंकित गोयल, आलोक कुमार। द्विवेदी, अधिवक्ता। के लिए

एक तरफ के लोग

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था एस. ए. बोबडे, जे. 1. चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई

2011 पंजाब राज्य में। यह कॉलेज बाबा एफ से संबद्ध है।

वर्सिटी। इसने आई [2018] 5 एस. सी. आर. की चिकित्सा परिषद को एक आवेदन दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'आई. एम. सी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 10 (ए) के तहत 'एम. सी. आई.' के रूप में संदर्भित। पहले बैच के लिए अनुमति वर्ष 2011-12 में 30.06.2011 पर दी गई थी। बाद के शैक्षणिक वर्षों यानी 2012-13 और 2013-14 के लिए, याचिकाकर्ता कॉलेज को अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता कॉलेज को एमसीआई द्वारा किए गए निरीक्षणों में कमी पाई गई थी। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए, याचिकाकर्ता को 2014 के डब्ल्यू. पी. (सिविल) संख्या 469 में पारित इस अदालत के आदेशों के तहत अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने वर्ष 2015 में आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 11 के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। एमसीआई ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता कॉलेज आईएमसी अधिनियम की धारा 11 के तहत मान्यता देने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है, तीन निरीक्षण किए। पहला निरीक्षण 16.12.2015 पर किया गया, उसके बाद दूसरा निरीक्षण 25/26.02.2016 पर और तीसरा निरीक्षण 16.03.2016 पर किया गया।

2. एमसीआई द्वारा किए गए तीनों निरीक्षणों में याचिकाकर्ता कॉलेज में कमी पाई गई। एमसीआई ने निष्कर्ष निकाला कि कॉलेज था

100% की सीमा तक कमी। इसलिए एमसीआई ने केंद्र सरकार से आईएमसी अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिकाकर्ता कॉलेज को मान्यता जारी नहीं करने की सिफारिश की। एमसीआई ने भी ऐसा ही किया

केंद्र सरकार से याचिकाकर्ता कॉलेज को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई दो शैक्षणिक वर्षों यानी 2017-18 और 2018-19 के लिए अनुमत प्रवेश के खिलाफ छात्रों को प्रवेश देने से। केंद्र सरकार ने अपने दिनांक 31.05.2017 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज को दो समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

1 (2016) 7 एस. सी. सी. 353 चिंटपूर्णी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम। पंजाब राज्य [एस. ए. बोबडे, जे.]

शैक्षणिक वर्ष अर्थात 2017-18 और 2018-19। इस आदेश पर याचिकाकर्ता द्वारा 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 423 में सवाल उठाया गया था। दिनांक 10.5.2018 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 2017 की रिट याचिका (सिविल) No.423 को खारिज कर दिया।

3. वर्तमान रिट याचिका वापस लेने पर सवाल उठाती है

अधिनियम के तहत बनाए गए मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) की स्थापना के साथ पठित आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 10 ए के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज को जारी किया गया आवश्यक प्रमाण पत्र दिनांक 07.12.2010 और <आई. डी. 2. नियम चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करते हैं। आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि एक व्यक्ति को राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

जहाँ कॉलेज फॉर्म 2 में स्थित होने का प्रस्ताव है।

4. 13.07.2017 पर, एमसीआई ने एक असामान्य अनुरोध करते हुए सचिव, पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि वह कार्रवाई करेगी

केवल तभी जब संबंधित कॉलेज बंद हो जाए और राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाए। पंजाब सरकार ने दिनांकित 24.7.2017 पत्र द्वारा प्रस्तुत किया कि वे कई कारणों से अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने की स्थिति में नहीं हैं। राज्य सरकार ने कहा कि पंजाब राज्य में डॉक्टर-रोगी अनुपात 1 हैः 1440 लगभग जबकि एमसीआई मानदंडों के अनुसार आवश्यक अनुपात 1 हैः 1000 . उन्होंने कहा कि वे राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अनिवार्यता की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता कॉलेज से छात्रों को शामिल करना संभव नहीं होगा और इससे छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आवश्यक प्रमाणपत्र को वापस लेने पर जोर दिए बिना छात्रों को अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस प्रकार राज्य ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने से इनकार कर दिया।

5. हालाँकि, जो कारण स्पष्ट नहीं हैं, राज्य ने 03.05.2017 कॉल करने के पहले के कारण बताए जाने के नोटिस की कार्यवाही पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता पर यह कारण दिखाने के लिए कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र को क्यों वापस नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक इसके विपरीत करने के लिए। उन्होंने 01.11.2017 दिनांकित एक आदेश पारित किया और कहा कि कॉलेज ने कमियों को दूर करने के लिए खोखले दावे किए थे और यह कारण दिखाने में विफल रहा था कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र को क्यों वापस नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि कई अवसर

व्यक्तिगत सुनवाई की गई, कॉलेज निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों का खंडन करने में विफल रहा। लगातार कमियों का पता चलने के बाद, राज्य सरकार ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने का निर्देश दिया।

6. इस मोड़ पर, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्य सरकार के आदेशों का पालन करने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है

याचिकाकर्ता महाविद्यालय के कामकाज में कमियां। इन कमियों के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के दिनांकित 31.05.2017 आदेश ने याचिकाकर्ता कॉलेज को दो साल के लिए कोई भी नया प्रवेश लेने से रोक दिया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस न्यायालय ने इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और तदनुसार, 2017 की रिट याचिका (सिविल) No.423 को खारिज कर दिया गया है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने हालांकि तर्क दिया कि राज्य के पास इसे वापस लेने की शक्ति नहीं है

एक बार अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, अनिवार्यता प्रमाण पत्र किसी राज्य में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता को प्रमाणित करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है। एक बार जब ऐसी आवश्यकता प्रमाणित हो जाती है और कॉलेज स्थापित हो जाता है, तो कोई शक्ति नहीं होती है।

धोखाधड़ी के आधार को छोड़कर इस तरह के प्रमाण पत्र को वापस लेने के लिए आई. एम. सी. अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त।

8. प्रस्तुतिकरण के गुण-दोष में जाने से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने एम. सी. आई. के आदेश के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र को वापस ले लिया है। यह ऊपर उल्लिखित 13.07.2017 दिनांकित पत्र से स्पष्ट है। यह अपने आप में राज्य द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने को दूषित कर देगा, अनिरुद्धसिंहजी करंसिंहजी जडेजा बनाम। गुजरात राज्य 2 और दीपक बाबरिया बनाम। गुजरात राज्य। 3 प्रशासनिक कानून में वेड और फोर्सिथ का निम्नलिखित अंश, पी। 269 इस तरह की कार्रवाई में बुराई को संक्षेप में बताया गया हैः

एक और। उचित प्राधिकारी अपनी शक्ति किसी और के साथ साझा कर सकता है, या किसी और को उनकी सहमति के बिना कार्य करने से इनकार करके या उनकी इच्छाओं या निर्देशों के अधीन होकर इसे निर्देशित करने की अनुमति दे सकता है। तब प्रभाव यह होता है कि संसद द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग, कम से कम आंशिक रूप से, गलत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप निर्णय अधिकार से बाहर होता है और शून्य। इस सिद्धांत को लागू करने में अदालतें इतनी सख्त हैं कि वे कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निंदा करती हैं जो उन्हें बनाने वालों को काफी स्वाभाविक और उचित लगनी चाहिए।

2 (1995) 5 एससीसी302

9. वर्तमान डब्ल्यू. पी. में जो मुद्दा उत्पन्न होता है वह हैः क्या राज्य सरकार के पास इसे वापस लेने की शक्ति है

एक बार आवश्यक प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद, और क्या ऐसा करने की शक्ति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य द्वारा सत्ता ग्रहण की गई है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र को वापस लेने के गंभीर परिणाम होते हैं - किसी राज्य में चिकित्सा शिक्षा, जिसे केवल आई. एम. सी. अधिनियम द्वारा और उसके तहत नियंत्रित किया जा सकता है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र

10. इसलिए इसकी उत्पत्ति को देखना आवश्यक होगा।

आवश्यकता है कि एक कॉलेज के पास अपनी स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने से पहले एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधायी योजना जो एक अनिवार्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता को लागू करता है वह इस प्रकार हैः

आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 10 ए 4 के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है -

मेडिकल कॉलेज स्थापित करने या खोलने के लिए केंद्र सरकार

4 10. नए मेडिकल कॉलेज, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति -

(1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूदः

(क) कोई भी व्यक्ति मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं करेगा या

(ख) कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगाः

(i) अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलें जो इस तरह के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के छात्र को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता का पुरस्कार; या

((ii) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना।

केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा

इस धारा के प्रावधानों के अनुसार।

स्पष्टीकरण 1-। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" में कोई भी विश्वविद्यालय या न्यास शामिल है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण 2. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्रवेश क्षमता" में

किसी चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के संबंध में, छात्रों की अधिकतम संख्या है जो परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए निर्धारित की जा सकती है।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज, उप-धारा (1) के तहत अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार को एक योजना प्रस्तुत करेगा। खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार और केंद्र सरकार इस योजना को अपनी सिफारिशों के लिए परिषद को भेजेगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना ऐसे रूप में होगी और इसमें ऐसे विवरण होंगे और इस तरह से उसे प्राथमिकता दी जाएगी और इसके साथ ऐसी योजना भी होगी। शुल्क जो निर्धारित किया जाए।

अध्ययन या प्रशिक्षण का नया पाठ्यक्रम। प्रत्येक व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार को निर्धारित के अनुसार एक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। केंद्र सरकार तब इस योजना को अपनी सिफारिशों के लिए एम. सी. आई. को भेजती है। चिकित्सा परिषद को योजना पर विचार करने और उसे संतुष्ट करने की आवश्यकता है

(3) उप-धारा (2) के तहत परिषद द्वारा किसी योजना की प्राप्ति पर परिषद ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकती है जो उसके द्वारा आवश्यक माने जाएं।

व्यक्ति या संबंधित मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद, यह-(ए) यदि योजना दोषपूर्ण है और इसमें कोई आवश्यक विवरण नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या कॉलेज को लिखित अभ्यावेदन देने के लिए एक उचित अवसर दे सकता है और यह ऐसे व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज के लिए खुला होगा।

परिषद द्वारा निर्दिष्ट दोषों, यदि कोई हों, को सुधारना।

(ख) उप-धारा (7) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए योजना पर विचार करें और उस पर अपनी सिफारिशों के साथ योजना प्रस्तुत करें।

केंद्र सरकार को।

(4) केंद्र सरकार। योजना पर विचार करने के बाद और

उप-धारा (3) के तहत परिषद की सिफारिशें और जहां आवश्यक हो, संबंधित व्यक्ति या कॉलेज से ऐसे अन्य विवरण प्राप्त करने के बाद और उप-धारा (7) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए या तो (ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हों, जो वह आवश्यक समझे) या

योजना को अस्वीकार करता है, और ऐसा कोई भी अनुमोदन उप-धारा (1) के तहत अनुमति होगीः बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी योजना को अस्वीकार नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि संबंधित व्यक्ति या कॉलेज को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए।

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज को नहीं रोकेगी जिसकी योजना को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है -

एक नई योजना प्रस्तुत करें और इस धारा के प्रावधान ऐसी योजना पर लागू होंगे, जैसे कि ऐसी योजना पहली बार उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत की गई हो।

केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या कॉलेज को सूचित कर दिया गया है ऐसी योजना को केंद्र सरकार द्वारा उसी रूप में अनुमोदित माना जाएगा जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया था और तदनुसार, उप-धारा (1) के तहत आवश्यक केंद्र सरकार की अनुमति भी दी गई मानी जाएगी।

(6) उप-धारा (5) में निर्दिष्ट समय-सीमा की गणना करने में, योजना प्रस्तुत करने वाले संबंधित व्यक्ति या कॉलेज द्वारा कोई भी विवरण प्रस्तुत करने में लिया गया समय।

परिषद या केंद्र सरकार द्वारा बुलाए जाने को बाहर रखा जाएगा। (7) परिषद, उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत अपनी सिफारिशें करते समय और केंद्र सरकार, एक आदेश पारित करते समय, या तो अनुमोदन करती है या

उप-धारा (4) के तहत योजना को अस्वीकार करने पर निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:

(क) क्या प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज या मौजूदा मेडिकल कॉलेज जो अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना चाहता है, वह धारा 19 ए के तहत परिषद द्वारा निर्धारित चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों की पेशकश करने की स्थिति में होगा या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मामले में धारा 20 के तहत, जैसा भी मामला हो।

स्वयं आवश्यक विवरण प्राप्त करके और दोषों को दूर करने के बाद, केंद्र को अपनी सिफारिशें करें। सरकार। केंद्र सरकार, योजना की प्राप्ति पर, इसे सशर्त रूप से मंजूरी दे सकती है या योजना को अस्वीकार कर सकती है। अनुमोदन आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (4) के अनुसार अनुमति का गठन करता है।

11. मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति देने की शक्ति है

इस प्रकार आई. एम. सी. अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान किया गया। आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 10 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए उपरोक्त विनियम योग्यता मानदंड निर्धारित करते हैं। ये मानदंड मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने की पात्रता निर्धारित करते हैं। मानदंडों में से एक यह है कि जो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का इच्छुक है, उसे विनियमों के फॉर्म 2 में निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। यह प्रमाणित करना कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता पर कोई आपत्ति नहीं है।

12. प्रपत्र 2 जिसमें अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए

उन तथ्यों को इंगित करता है जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक माना जाता है कि क्या

(ख) अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने या इसकी प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज या मौजूदा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं या नहीं;

(ग) क्या मेडिकल कॉलेज के उचित संचालन को सुनिश्चित करने या नए पाठ्यक्रम या अध्ययन या प्रशिक्षण का संचालन करने या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता को समायोजित करने के लिए कर्मचारियों, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी।
योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा।

(घ) क्या पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं, संख्या या ऐसे मेडिकल कॉलेज या अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने की संभावना वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता का परिणाम, योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान किया गया है या प्रदान किया जाएगा;

(ई) क्या मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय या अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में भाग लेने की संभावना रखने वाले छात्रों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था या कार्यक्रम तैयार किया गया है; (च) चिकित्सा के अभ्यास के क्षेत्र में श्रमशक्ति की आवश्यकता; और (छ) कोई अन्य कारक जो निर्धारित किए जाएं।

(8) जहां केंद्र सरकार इस धारा के तहत किसी योजना को मंजूरी या अस्वीकृत करने का आदेश पारित करती है, वहां आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति या कॉलेज को भेजी जाएगी। 5 (3) कि प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना और परिषद के नियमों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की कोई आपत्ति नहीं होने के संबंध में

फॉर्म 2 में अनिवार्यता प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति द्वारा संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्राप्त किया गया है।

प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना उचित है। ये कारक हैं:

(1) राज्य में पहले से मौजूद संस्थानों की संख्या।

(2) उपलब्ध सीटों की संख्या या उत्पादित किए जा रहे डॉक्टरों की संख्या

सालाना।

(3) राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या। (4) सरकारी सेवा में डॉक्टरों की संख्या।

(5) सरकारी रिक्त पदों की संख्या और ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में

क्षेत्रों।

(8) कॉलेज की स्थापना कैसे राज्य में योग्य चिकित्सा कर्मियों की कमियों की समस्या का समाधान करेगी और राज्य में ऐसी चिकित्सा श्रमशक्ति की उपलब्धता में सुधार करेगी। (9) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हों,

ऐसे छात्र जो राज्य में अधिवासित नहीं हैं

राज्य में प्रवेश प्राप्त करने वाले, निर्दिष्ट किए जाएँ

(10) प्रस्तावित महाविद्यालय खोलने के लिए पूर्ण औचित्य। (11) डॉक्टर-रोगी अनुपात प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

13. संबंधित राज्य सरकार को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उसने इसकी स्थापना के लिए एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

लोक हित में सीटों की एक निर्दिष्ट संख्या के साथ एक चिकित्सा महाविद्यालय, और आगे कि ऐसी स्थापना संभव है। महत्वपूर्ण रूप से, राज्य सरकार को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि यदि आवेदक एमसीआई मानदंडों के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाने में विफल रहता है और केंद्र सरकार द्वारा नए प्रवेश बंद कर दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार उन सीटों की जिम्मेदारी लेगी जो पहले से ही केंद्र सरकार की अनुमति से कॉलेज में भर्ती हैं। अ.

अधिसूचना में संशोधन के लिए यह घोषणा भी आवश्यक है कि आवेदक के पास पर्याप्त भूमि है और उसके पास है जिस पर भूमि के गैर-कृषि उपयोग की अनुमति है और जिस पर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा इस आशय की घोषणा की आवश्यकता है कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को पूर्णता प्रमाण पत्र/भवन उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

14. इस प्रकार अनिवार्यता प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि प्रस्तावित कॉलेज चिंटपुर्नी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है।

राज्य में, जनहित में, यह आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदक के पास इसे चलाने के लिए आवश्यक भूमि और भवन है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कानून की आवश्यकता है कि एक आवेदक के पास एक अनिवार्यता होनी चाहिए

15. इस प्रकार, एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिए विधायी योजना एक योग्यता मानदंड के रूप में निर्धारित करती है कि आवेदक के पास राज्य सरकार द्वारा जारी एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य सरकार एक प्रस्तावित स्थापना के औचित्य को प्रमाणित करती है। अधिनियम के तहत विधायी योजना के एक भाग के रूप में मेडिकल कॉलेज। यह राज्य अधिनियम सहित किसी अन्य कानून के तहत ऐसा नहीं करता है। अनिवार्यता प्रमाणपत्र का एकमात्र उद्देश्य केंद्रीय को सक्षम बनाना है

धारा 10 ए के तहत कार्य करने वाली सरकार एक नए मेडिकल कॉलेज को खोलने या स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एक सूचित निर्णय लेगी। एक बार कॉलेज की स्थापना के बाद, इसकी कार्यप्रणाली और प्रदर्शन और यहां तक कि इसके पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द करना केवल आई. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, न कि किसी अन्य कानून द्वारा। आई. एम. सी. अधिनियम, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 66 के तहत एक विधान है, एक पूर्ण संहिता है जो शिक्षा के मानकों के रखरखाव और यहां तक कि शिक्षा की मान्यता को रद्द करने सहित प्रतिष्ठान, कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती है।

अधिनियम की धारा 19 के तहत मेडिकल कॉलेज। राज्यों को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत चिकित्सा शिक्षा पर कानून बनाने की विधायी शक्ति से वंचित किया जाता है क्योंकि संसद ने निम्नलिखित के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है -

प्रविष्टि 66 और आई. एम. सी. अधिनियम को डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम द्वारा अधिनियमित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य।

16. किसी भी प्राधिकरण को अनुमति देना अनुज्ञेय नहीं होगा, जिसमें

राज्य सरकार जो केवल एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करती है, किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो समाप्त करने का प्रभाव डाल सकती है

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने की अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व। ऐसा राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। इसके अलावा, अनिवार्यता प्रमाणपत्र का उद्देश्य केंद्र सरकार को यह प्रमाणित करने तक सीमित है कि एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना आवश्यक है। यह इससे आगे नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब राज्य सरकार यह प्रमाणित कर देती है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना उचित है, तो बाद के चरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका कोई औचित्य नहीं था

महाविद्यालय की स्थापना के लिए। निश्चित रूप से, एक व्यक्ति जो राज्य सरकार के इस आश्वासन पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है कि ऐसा प्रतिष्ठान उचित है, उसे बाद के चरण में यह नहीं बताया जा सकता है कि उसे ऐसा करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करने के बाद इसे समाप्त माना जाना चाहिए, सिवाय धोखाधड़ी के मामलों के। समता आ निष्पक्षताक नियम आ प्रतिज्ञात्मक रोक-टोक एहि न्यायालयकेँ विपरीत दृष्टिकोण रखबाक अनुमति नहि दैत छैक।

17. इस मामले में, आवश्यक प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए राज्य द्वारा दिए गए कारण प्रतिष्ठान के लिए प्रासंगिक या स्पष्ट नहीं हैं

एक मेडिकल कॉलेज से। वे एक विशेष अवधि के लिए एक मेडिकल कॉलेज के कामकाज में कमियों को संदर्भित करते हैं। कमियों का उनके स्वभाव से इलाज किया जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है। राज्य सरकार को एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लेने की अनुमति देना और यह कहना कि यह अब आवश्यक नहीं है कि एक कॉलेज होना चाहिए, घोर मनमानेपन की ओर ले जाएगा क्योंकि तार्किक रूप से मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व फिर से उचित होगा यदि कमियों को दूर किया जाता है। कॉलेज के उचित अस्तित्व और मौजूदा कॉलेज के अनियमित/अवैध कामकाज का सवाल चीजों के एक अलग क्रम से संबंधित है और इसे मिश्रित नहीं किया जा सकता है। एक प्रमाण पत्र एक प्राधिकरण द्वारा कुछ शर्तों को प्रमाणित करने वाला एक गंभीर बयान है। ऐसे प्रमाणपत्रों पर कार्य करने वाले व्यक्ति यह मानने के हकदार हैं कि प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा और बाहरी कारणों से उनके पैरों के नीचे से बाहर नहीं निकाला जाएगा। हम पाते हैं कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र को वापस लेने का कोई भी कारण उन कारकों से संबंधित नहीं है जो ऊपर दिए गए निर्धारित प्रपत्र 2 में सही के रूप में प्रमाणित हैं।

राज्य द्वारा प्रपत्र 2 में प्रस्तुत शर्तों को चुनौती

18. यह मुख्य रूप से राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया जाता है कि निर्दिष्ट शर्तें जो अनिवार्यता प्रमाण पत्र में लगाई गई हैं

राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाणपत्र वापस लेने का अधिकार और आरक्षित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमाण पत्र को वापस ले लिया गया है

आवश्यक प्रमाणपत्र दिनांक 07.12.2010 में निम्नलिखित शर्तों के तहत शामिल किया गया हैः

" vii. संस्थान का निरीक्षण छात्रों के पहले बैच के अध्ययन के पूरा होने तक वार्षिक आधार पर किया जाएगा। इसके बाद, निरीक्षण आवधिक होगा।

तीन साल बाद।

xi. पंजाब सरकार को वापस लेने का अधिकार होगा। अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र यदि न्यास /

सोसायटी/आवेदक किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहा

उसमें निहित है।

19. श्री रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि शर्त सं। (7) और (11) पुनरुत्पादित (ऊपर) राज्य सरकार द्वारा अपने दम पर पेश किए गए हैं; वे विनियमों के तहत निर्धारित प्रपत्र 2 में नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, एमसीआई अधिनियम और विनियम राज्य सरकार को मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने या अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लेने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, और राज्य ने इन शक्तियों को अपने ऊपर हावी करने का प्रयास किया है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, ये शर्तें अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों से परे हैं। 20. शर्त संख्या पर निर्भर करते हुए। (VII), पंजाब राज्य की विद्वान वकील सुश्री उत्तरा बब्बर ने प्रस्तुत किया कि राज्य

सरकार के पास निरीक्षण करने की शक्ति है, क्योंकि यह उस कॉलेज के छात्रों के लिए जिम्मेदार है जिसे एमसीआई द्वारा बंद कर दिया गया है या अन्यथा। यदि इस तरह के निरीक्षणों से कोई कमियां सामने आती हैं, तो राज्य को अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार है। यह प्रस्तुति नहीं हो सकती है

आई. एम. सी. अधिनियम और विनियम जिनके तहत राज्य सरकार ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने का इरादा किया है, किसी भी चिकित्सा संस्थान, कॉलेज या अस्पताल में जहां कोई चिकित्सा शिक्षा दी जाती है, आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 178 और 18 9 के तहत एम. सी. आई. द्वारा नियुक्त आगंतुकों/निरीक्षकों को निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं।

7 आवश्यक प्रमाणपत्र दिनांकित 07.12.2010। 8 17. परीक्षाओं का निरीक्षण (1) समिति ऐसी संख्या में चिकित्सा निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी जो किसी भी चिकित्सा संस्थान, कॉलेज, अस्पताल या अन्य संस्थान का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक समझे, जहां चिकित्सा शिक्षा दी जाती है, या किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए।

(3) ..... 9 18. (1) परिषद मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी चिकित्सा संस्थान, कॉलेज, अस्पताल या अन्य संस्थान जहां चिकित्सा शिक्षा दी जाती है, का निरीक्षण करने या किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए इतनी संख्या में आगंतुकों की नियुक्ति कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

21. राज्य के विद्वान वकील ने कोई संकेत नहीं दिया है

निरीक्षण की शक्ति जो किसी राज्य सरकार/संघ को प्रदान की जाती है

क्षेत्र प्रशासन या तो अधिनियम या विनियमों द्वारा। राज्य सरकार को विनियमों द्वारा केवल इस उद्देश्य के लिए नामित किया गया है।

अपने क्षेत्रों के भीतर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को उचित ठहराने के लिए एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना और वह भी जब एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा संपर्क किया जाता है। राज्य को सामान्य निरीक्षण की किसी भी शक्ति का कोई प्रत्यक्ष सम्मान नहीं है और न ही ऐसी शक्ति को विनियमों में पढ़ा जा सकता है और न ही स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्ति को लागू करने के लिए आवश्यक रूप से निहित किया जा सकता है जो मौजूद नहीं है। वास्तव में, यह समझना भी मुश्किल हो सकता है कि आई. एम. सी. अधिनियम ने राज्य सरकार को कोई भी शक्ति सौंप दी है, जिसमें एक अनिवार्यता जारी करना भी शामिल है।

प्रमाण पत्र। आई. एम. सी. अधिनियम में केवल एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को उचित ठहराने के लिए एक आवेदक को राज्य सरकार से एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, अधिनियम उस प्रपत्र को निर्धारित करता है जिसमें ऐसा प्रमाण पत्र राज्य से प्राप्त किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, प्रपत्र निरीक्षण की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। एक योग्यता मानदंड के रूप में राज्य द्वारा एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र की मात्र आवश्यकता का अर्थ किसी शक्ति के प्रत्यायोजन से नहीं हो सकता है जिसे व्यक्त किया जाना चाहिए।

और स्पष्ट। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस तरह की शक्ति का राज्य द्वारा बिना किसी औचित्य के अहंकार किया गया है और इससे केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के साथ टकराव होने की संभावना है और

संभावित रूप से, परस्पर विरोधी निरीक्षण रिपोर्टों में परिणाम। इसलिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्त आई. एम. सी. अधिनियम और विनियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

22. यह विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो

पंजाब राज्य ने कहा कि चूंकि अनिवार्यता प्रमाण पत्र के लिए राज्य सरकार को कॉलेज बंद होने की स्थिति में छात्रों की जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य को अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने का अंतर्निहित अधिकार होना चाहिए। इस तर्क को गलत बताते हुए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने का परिणाम केवल यह हो सकता है कि कॉलेज बंद हो जाए और छात्रों को किसी अन्य संस्थान में समायोजित करने का बोझ राज्य को उठाना चाहिए।

(2) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह परिषद का सदस्य हो या नहीं, इस धारा के तहत एक आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसे किसी भी निरीक्षण या परीक्षा के लिए धारा 17 के तहत एक निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसे उसी निरीक्षण या परीक्षा के लिए एक आगंतुक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) ..... (4) .....

23. पंजाब राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

चूंकि अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता को प्रमाणित करता है, इसलिए नियमों के अनुसार, राज्य के पास कॉलेज के निरीक्षण की आवश्यक शक्ति है। इसकी स्थापना के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। इस प्रस्तुति को भी अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्य को पर्याप्त नैदानिक सामग्री को केवल मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव के समय प्रमाणित करने का आदेश दिया गया है, न कि इसकी स्थापना के बाद। लेकिन हम प्रस्तुतियों से पाते हैं कि राज्य ने 'पर्याप्त नैदानिक सामग्री' शब्द की पूरी तरह से गलत व्याख्या की है। राज्य के अनुसार, "पर्याप्त नैदानिक सामग्री" का अर्थ है "लोग" यानी डॉक्टर, मरीज, कर्मचारी आदि। जबकि, शब्द समझा जाता है

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश की संख्या, छुट्टी की संख्या, मृत्यु की संख्या, शल्य चिकित्सा की संख्या, प्रक्रियाओं की संख्या, एक्स-रे और प्रयोगशाला जांच के बारे में डेटा का अर्थ है। इस प्रकार,

प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना को सही ठहराने के लिए राज्य को इस क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। जाहिर है, एक मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को उचित ठहराने के उद्देश्य से,

राज्य का यह दावा कि किसी कॉलेज के स्थापित होने के बाद उसे यह देखने का अधिकार होना चाहिए कि क्या उसके निरंतर अस्तित्व को सही ठहराने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, मरीज आदि हैं, पूरी तरह से खोखला और निराधार है।

शर्त सं। XI

24. राज्य के विद्वान वकील ने आगे इसका प्रतिवाद किया

कि प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति को उसी तरीके से वापस लेने की शक्ति है जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम, 1987 की धारा 21 द्वारा अनुध्यात किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार है:

" 21. जारी करने की शक्ति, इसमें जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने की शक्ति शामिल करने की शक्ति

या अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों को रद्द कर दें।

कहाँ,

किसी भी [केंद्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा [जारी करने की शक्ति अधिसूचनाएँ] आदेश, नियम या उप-कानून प्रदान किए जाते हैं, फिर कि

शक्ति में एक शक्ति शामिल है, जो समान तरीके से प्रयोग की जा सकती है और

समान मंजूरी और शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन रहते हुए,

किसी भी [अधिसूचना] आदेश, नियमों में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करना या

उप-कानून इस प्रकार [जारी किए गए]।

25. धारा 21 में प्रमाण पत्र के लिए कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह प्रमाण पत्र है।

न तो कोई अधिसूचना है, न ही कोई आदेश, या नियम या उप-कानून है जैसा कि उस धारा द्वारा अनुध्यात किया गया है। इस न्यायालय ने कई अवसरों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक सांविधिक प्राधिकारी को एक अर्ध न्यायिक कार्य करने का आदेश दिया गया है, जैसे [2018] 5 एस. सी. आर.

किसी राजनीतिक दल को पंजीकरण देने या आयकर अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, धारा 21 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और इस तरह के अधिनियम की समीक्षा करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है क्योंकि पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) बनाम समाज कल्याण और औद्योगिक अवसंरचना विकास संस्थान के रूप में कानून के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया है।

निगम (ग्वालियर) एम. पी. लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, ग्वालियर! !

निर्णय एक जांच होनी चाहिए, कानून की ऐसी आवश्यकता प्राधिकरण को एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण बनाती है। इसके अलावा जब प्राधिकरण को नियमों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है और नीति या समीचीनता द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण अर्ध न्यायिक कार्य करता है न कि प्रशासनिक कार्य। कार्य.

27. उपरोक्त परीक्षण पर, एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने में राज्य सरकार के कार्य को एक अर्ध न्यायिक के रूप में माना जाना चाहिए।

कार्य. सरकार को फॉर्म 2 में प्रमाण पत्र जारी करते समय राज्य में प्रस्तावित कॉलेज खोलने के औचित्य और व्यवहार्यता निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए, यह कई कारकों के अस्तित्व की जांच और निर्धारण करने के लिए बाध्य है जैसे कि

मौजूदा संस्थान, प्रतिवर्ष योग्य होने वाले डॉक्टरों की संख्या, राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत और सरकारी सेवा में कार्यरत, रोजगार विनिमय में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या आदि। इसे राज्य में डॉक्टरों की संख्या, डॉक्टर-रोगी अनुपात प्राप्त करने और राज्य में चिकित्सा श्रमशक्ति की उपलब्धता पर प्रस्तावित कॉलेज के प्रभाव को भी निर्धारित करना चाहिए। इसलिए प्रमाण पत्र जारी करने को एक अर्ध न्यायिक अधिनियम माना जाना चाहिए। परिणाम यह है कि ऐसा कार्य सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 द्वारा अनुध्यात "आदेश" के रूप में माने जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक आदेश नहीं होने के नाते, और निश्चित रूप से एक अधिसूचना, नियम या उप-कानून नहीं होने के कारण, धारा 21 का कोई भी अनुप्रयोग नहीं है।

28. इसके अलावा, आई. एम. सी. अधिनियम का कोई भी प्रावधान राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।

अनिवार्यता प्रमाण पत्र। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विनियम क्या करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन करने के लिए एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र योग्यता मानदंड है। उस अर्थ में, 1 0 10 (2002) 5 एस. सी. सी. 685

11 (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 126 चिंटपुर्नी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम। पंजाब राज्य [एस. ए. बोबडे, जे.]

प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जारी एक अनिवार्यता प्रमाणपत्र को मान्यता देता है। यह किसी का मामला नहीं है कि राज्य सरकार को किसी भी राज्य के कानून के तहत ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति या कर्तव्य प्रदान किया गया है। किसी भी मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्र पर एक का कब्जा है

संसदीय कानून अर्थात आई. एम. सी. अधिनियम, 1956, एक राज्य कानून, भले ही पहले से मौजूद हो, इस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होगा। नतीजतन, अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

29. इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र आई. एम. सी. अधिनियम के तहत जारी किया गया है जिसे विनियमों के साथ पढ़ा जाता है न कि अभ्यास में।

राज्य की किसी भी स्वतंत्र शक्ति का। उल्लेखनीय है कि जहां आई. एम. सी. अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, वहां यह पूछताछ करना व्यर्थ होगा कि क्या इसे वापस लेने की संबंधित शक्ति राज्य को प्रदान की गई है। यह मानते हुए भी कि इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति अधिनियम के तहत विनियमों द्वारा निहित रूप से प्रदान की गई है, निश्चित रूप से, इसे वापस लेने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। ऐसी शक्ति पर भरोसा करके घमंड नहीं किया जा सकता है।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21।

30. औद्योगिक बुनियादी ढांचे में भी ऐसा ही सवाल उठा

विकास मामला (उपरोक्त) जहां आयकर आयुक्त ने एक पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें एक स्पष्ट त्रुटि थी

रिकॉर्ड से। इस न्यायालय ने माना कि प्रमाण पत्र अर्ध न्यायिक आदेश के परिणामस्वरूप जारी किया गया था और इसे केवल तभी वापस लिया जा सकता था जब ऐसा करने का अधिकार व्यक्त करने की शक्ति निहित हो। उस मामले में, इस न्यायालय ने गौरुल हसन बनाम राज्य के मामले में पहले के दो फैसलों का उल्लेख किया। राजस्थान 1 2 और हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी 1 3, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (सी) के तहत जारी नागरिकता के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को पंजीकरण देने वाले प्राधिकरण द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

सामान्य खंड अधिनियम।

31. आंध्र प्रदेश सरकार बनाम। वाई. एस. विवेकानंद

रेड्डी 1 4, उच्च न्यायालय से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार को उप-पट्टों में प्रवेश करने के लिए दी गई सहमति को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को लागू करके वापस लिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ, एस. एस. एम. कादरी, जे (के रूप में) के अनुसार उनके प्रभुत्त्व को तब माना गया था) कि सहमति वापस लेने की शक्ति

12 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 107

13 (2001) 8 एससीसी 233

इसका प्रयोग केवल तब तक किया जा सकता था जब तक यह होने में सक्षम था

निरस्त किया गया क्योंकि इस अभ्यास को धारा 21 द्वारा विचार किए गए समान शर्तों के अधीन होना था। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि चूंकि पट्टेदार ने सहमति पर कार्य करते हुए एक उप-पट्टा निष्पादित किया था और उप-पट्टेदार ने पहले ही खनन कार्य शुरू कर दिया था, इसलिए सहमति अपने आप तैयार हो गई थी और उस स्तर पर वापस नहीं ली जा सकती क्योंकि सहमति देने के समय मौजूद शर्तें बदल गई हैं।

32. हमारा विचार है कि हमारे समक्ष मामला एक समान स्थिति प्रस्तुत करता है जहां याचिकाकर्ता कॉलेज ने अनिवार्यता पर कार्रवाई की है

प्रमाण पत्र और एक कॉलेज की स्थापना की है जिसने कार्य किया है; हो सकता है

अभाव में। आई. एम. सी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त वापस लेने की किसी भी शक्ति के अभाव में अनिवार्यता प्रमाण पत्र, धारा 21 के अनुदान के बाद से शर्तें बदल गई हैं।

33. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि शर्त सं। (11) आई. एम. सी. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों से परे है। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1-पंजाब राज्य द्वारा जारी दिनांक 01.11.2017 का आदेश, आवश्यक प्रमाणपत्र को वापस लेने को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और शर्त संख्या। (VII) और (XI) को अवैध घोषित किया गया है।

34. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति है।

35. हम शायद यह निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस नहीं लिया जा सकता है। राज्य ने

सरकार को इस तरह के प्रमाण पत्र को वापस लेने का अधिकार होगा जहां यह धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है या ऐसी कोई भी परिस्थिति जहां मूल आधार, जिस पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिया गया था, गायब हो जाता है या इसी तरह का कोई अन्य कारण हो।

लिखित

याचिका की अनुमति दी गई।

निधि जैन